भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 623
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

623. **श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार :**
श्री हेमन्त पाटिल :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित और कार्यरत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) अथवा राष्ट्रीय विधि विद्यालयों (एनएलएस) की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) का राष्ट्रीयकरण करने और उन्हें अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के अनुरूप् दर्जा प्रदान करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में लगातार हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए इनमें पर्याप्त शिकायत तंत्र प्रदान करने के लिए उपाय करने की भी योजना बना रही है और यदि हां, तो विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायतों/विरोध प्रदर्शनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(ख), (ग) और (ङ) : जी, नहीं, प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना करने, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूएस) का राष्ट्रीयकरण करने और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची में सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में इस मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(क) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

****